



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2377]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2016/आश्विन 8, 1938

No. 2377]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016/ASVINA 8, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

का.आ. 3100(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1512 (अ) तारीख 9 जून, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले की सीमा पर (पश्चिम दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर) लगभग 412 हेक्टेयर में अवस्थित है तथा जो शीत ऋतु के मासों में बड़ी संख्या में और 250 जातियों से संबंधित लगभग 35,000 अप्रवासी पक्षियों को आकृष्ट करता है तथा राजस्थान के भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान की जल समस्याओं को, यह अभयारण्य अप्रवासी जल चिड़ियों को अनुकूल शीत ऋतु का ठिकाना देता है, इसलिए यह उसके महत्व को बढ़ाता है;

और, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य पक्षियों-जंतु समूह अर्थात् ओरियण्टल मधुमक्खी, काली चील, लाल सिर गिद्ध, शिकारा, चित्तीदार बड़ा बाज, बूटेड फुदकी, कलगी (भात पक्षी), ग्रेलेग बत्तख, सुर्ख बत्तख, स्पाट-विबिलीड बत्तख, विशालकाय फोरीजीनस बत्तख, बड़ा बगुलर, पीला बिटन, लाल-वाटेलीड छोटा कुत्ता, चित्तीदार सारस, उलली गर्दन वाला चमरचेंच, पेंटेड स्टॉर्क, वूल्ली नेकड स्टॉर्क, ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया, लाफिंग बत्तख, पीले पैर वाला हरा कबूतर, लाल गर्दन वाला बाज, छोटा प्रेंटीकोल, पीले पाद वाला गुल, सफेद बागटेल, नीला थोरोट, चितकबरा बुशेट, सिंह गौरैया, काला फ्रेंकोलिन, लाल जन्तुम मुदा बुलबुल, काले पंख वाला स्टिल्ट, जूनलिन, श्वेत उल्लू, ओरियण्टल व्हाइट आई के लिए महत्वपूर्ण है और ज्ञात है;

और, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य अपने वनस्पति अर्थात् – एक्रोस कैलमस, एलियन सीपा, कैरम कॉपटिकम, नीरम ओडरम, रीयो वोल्फिया सर्पोटाइन, अमरफोफोलस कैम्पानुलस, इक्लिप्टा अल्बा, ओरेक्सजाइलम इंडीकम, कैन्निबास सेटविया, डायरुप्रास मिलानोकजाइलम, कैसिफ फिस्टुला, डालबर्जिया सिसको, मेंथा स्पेसाटा, स्टाइकोनास मक्सवोनिवा, मार्टीनीया एनुआ, फिकस ग्लोमीराटा, पिनस खसवर्गी, साइबोयोगान मार्टीनक, साइट्रस मेडिका, एलो बाखेडेनिज, जिंजर आफ्फिनिकल, ट्रबुलस टैरेस्ट्रिस आदि के लिए महत्वपूर्ण है;

और, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र को भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 119 हेक्टेयर के क्षेत्र में समाविष्ट, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर तक विस्तृत होगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व (उपाबंध I मानचित्र के बिन्दु सं. 11) की ओर 28° 31'35.471" उत्तर अक्षांश और 76° 34'0.906" पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (उपाबंध I मानचित्र के बिन्दु सं. 1) की ओर 28°32'35.294" उत्तर अक्षांश तथा 76° 31'54.658" पूर्व देशान्तर ; उत्तर (उपाबंध I मानचित्र के बिन्दु सं. 17) की ओर 28° 32'45.969" उत्तर अक्षांश और 76°32'54.878" पूर्व देशान्तर और दक्षिण (उपाबंध I मानचित्र के बिन्दु सं. 9) की ओर 28°31'12.445" उत्तर अक्षांश तथा 76°33'42.089" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र में उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का निर्देशांक उनके अक्षांश और देशान्तर सहित उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले साजापुर, कनवा, निवादा, रेडुआप, चांदवन, विलोचपुरा, कोयलपुर और सुरखपुर ग्रामों के क्षेत्र या भाग हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना --(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति से राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांत, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समेकित करने के लिए संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के निम्नलिखित सभी परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;

- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार से विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना के विकास तथा क्रियाकलापों को और अधिक दक्ष और पारिस्थितिक अनुकूल रूप में क्रमगणित होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान उपासना स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 27, सं. 37, और सं. 42 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (ii) वर्षा जल संचय; और
- (iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, हरियाणा सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्वीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के

लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी ; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(6)	होटल और सैरगाह का वाणिज्यिक स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	मध्यम धनत्व के फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, इकाईयां और संयंत्र की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	वाणिज्यिक हेलिकाप्टर सेवा।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(12)	मोबाइल टावरों का संस्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
(13)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
(14)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(16)	संनिर्माण क्रियाकलाप A	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर

		रखे जाएंगे। (ख) इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन से परे, सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(17)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(19)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
(20)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(22)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(23)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(28)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्त्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्त्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(29)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	नदी तलों से पत्थरों, बजरी, और बालू की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	33 किलोवाट से ऊपर के संचरण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	और वितरण प्रणाली को बिछाना ।	
(33)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ; परंतु पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टॉक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।
(34)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(35)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(36)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(37)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(38)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(39)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(41)	वानस्पतिक बाड़ ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(42)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(43)	कृषि वानिकी, कृषि संचालन जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलों उद्यान भी हैं ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(44)	समुदाय प्रकृति भंडार।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(45)	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) उपायुक्त, झज्जर - अध्यक्ष ;
- (ख) अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर - सदस्य ;
- (ग) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (घ) हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (ङ) प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- (च) जिला नगर नियोजक, झज्जर - सदस्य ;
- (छ) हरियाणा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (ज) प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, रोहतक - सदस्य ;

- (झ) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;
 (ञ) उप वन्य संरक्षक (क्षेत्रीय), झज्जर - सदस्य-सचिव ।


निर्देश - निबंधन :

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (5) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (6) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (7) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
- (8) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (9) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।
7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/32/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन की सीमा का मानचित्र



उपाबंध-II

भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा की पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहरी सीमा के प्रमुख बिन्दुओं को दर्शित करने वाले निर्देशांक

पारिस्थितिक संवेदी जोन का निर्देशांक		
आई. डी.	देशांतर	अक्षांश
1.	76 31' 54.658" पू	28 32' 35.294" उ
2.	76 31' 56.066" पू	28 32' 15.762" उ
3.	76 32' 23.060" पू	28 32' 13.853" उ
4.	76 32' 28.787" पू	28 31' 44.538" उ
5.	76 32' 36.542" पू	28 31' 41.446" उ
6.	76 33' 3.194" पू	28 31' 21.243" उ
7.	76 33' 14.773" पू	28 31' 20.498" उ
8.	76 33' 26.247" पू	28 31' 11.916" उ
9.	76 33'42.089" पू	28 31'12.445" उ
10.	76 33'43.941" पू	28 31'34.885" उ
11.	76 34'0.906" पू	28 31'35.471" उ
12.	76 34'0.219" पू	28 31'43.348" उ
13.	76 33'54.507" पू	28 31'45.285" उ
14.	76 33'40.594" पू	28 32'15.802" उ
15.	76 33'18.992" पू	28 32'16.245" उ
16.	76 33'18.515" पू	28 32'45.766" उ
17.	76 32'54.878" पू	28 32'45.969" उ
18.	76 32'52.813" पू	28 32'35.228" उ
19.	76 32'30.558" पू	28 32'34.735" उ
20.	76 32'12.840" पू	28 32'45.263" उ
21.	76 32'0.584" पू	28 32'36.662" उ

भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

आई. डी.	देशांतर	अक्षांश
---------	---------	---------

1ए	76° 31' 58.409" पू	28° 32' 31.663" उ
2ए	76° 31' 58.785" पू	28° 32' 17.261" उ
3ए	76° 32' 21.256" पू	28° 31' 16.98" उ
4ए	76° 32' 32.204" पू	28° 31' 44.69" उ
5ए	76° 32' 38.247" पू	28° 31' 41.798" उ
6ए	76° 33' 2.889" पू	28° 31' 24.644" उ
7ए	76° 33' 16.618" पू	28° 31' 23.768" उ
8ए	76° 33' 27.083" पू	28° 31' 14.698" उ
9ए	76° 33' 39.565" पू	28° 31' 44.639" उ
10ए	76° 33' 40.437" पू	28° 31' 37.59" उ
11ए	76° 33' 58.77" पू	28° 31' 37.682" उ
12ए	76° 33' 57.75" पू	28° 31' 40.162" उ
13ए	76° 33' 51.512" पू	28° 31' 43.011" उ
14ए	76° 33' 38.102" पू	28° 32' 13.476" उ
15ए	76° 33' 15.503" पू	28° 32' 13.221" उ
16ए	76° 33' 15.475" पू	28° 32' 42.996" उ
17ए	76° 32' 57.067" पू	28° 32' 42.613" उ
18ए	76° 32' 57.136" पू	28° 32' 31.481" उ
19ए	76° 32' 28.597" पू	28° 32' 31.292" उ
20ए	76° 32' 13.732" पू	28° 32' 42.362" उ
21ए	76° 32' 3.117" पू	28° 32' 33.226" उ

उपाबंध-III**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। व्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। व्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28 th September, 2016

S.O. 3100(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1512(E), dated the 9th June, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

WHEREAS, the Bhindawas Wildlife Sanctuary is situated in the state of Haryana which is about 412 hectares, (approximate 80 kilometers from West of Delhi) attracts a large number and variety of migratory birds, around 35,000 belonging to over 250 species in winter months and with water problem at Bharatpur National Park of Rajasthan, this sanctuary provides an alternate wintering site to the migratory water fowls; hence it's enhanced importance;

AND WHEREAS, Bhindawas Wildlife Sanctuary is important and known for its Avi-fauna i.e. Oriental honey buzzard, Black kite, Red headed vulture, Shikra, Greater spotted eagle, Booted warbler, crested lark, Graylag goose, Ruddy Shelduck, Spot-billed Duck, Ferruginous Pochard, Great egret, yellow billed, Red-wattled lapwing, Painted stork, Woolly necked stork, Grey breasted Prinia, Laughing dove, Yellow-footed green pigeon, Red-necked falcon, Small pratincole, Yellow legged gull, White wagtail, Blue throat, Pied buschat, Sind sparrow, Black Francolin, Red vented bulbul, Black winged stilt, Dunlin, Barn owl, Oriental white eye;

And whereas, Bhindawas Wildlife Sanctuary is important for its flora i.e. *Acorus calamus*, *Allium cepa*, *Carum copticum*, *Nerium odorum*, *Reauwolfia serpentine*, *Amarphophallus Campanulatus*, *Eclipta alba*, *Oroxylum indicum*, *Cannabis sativa*, *Diospyros melanoxylon*, *Cassia fistula*, *Dalbergia sissoo*, *Mentha spicata*, *Strychnos muxvomica*, *Martynia annua*, *Ficus glomerata*, *Pinus roxburghii*, *Cymbopogon martini*, *Citrus medica*, *Aloe barbadensis*, *Ginger officinale*, *Tribulus terrestris* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Bhindawas Wildlife Sanctuary as Eco-

sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies upto 100 meters all around the Bhindawas Wildlife Sanctuary in the State of Haryana as the Bhindawas Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone is upto 100 meters all around the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary comprising an area of 119 hectares approximately.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 28°31'35.471"N latitude and 76°34'0.906"E longitude towards east (point No.11 of Annexure I map); 28°32'35.294"N latitude and 76°31'54.658"E longitude towards west (point No.1 of Annexure I map); 28°32'45.969"N latitude and 76°32'54.878"E longitude towards north (point No.17 of Annexure I map) and 28°31'12.445"N latitude and 76°33'42.089"E longitude towards south (point No.9 of Annexure I map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure I**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone and Wildlife Sanctuary with its latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(5) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are, Shahjapur, Kanwa, Niwada, Reduwas, Chadwana, Bilochpura, Koyalpur and Surakhpur.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared in consultation with by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments for integrating environmental and ecological considerations into it, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture; and
- (viii) Haryana State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**-Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 27, 37 and 42 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Rainwater harvesting; and
- (iii) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Haryana in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Haryana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment , Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) New construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**-The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
1.	2.	3.
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting-up of Medium Density Fiber/ Particle Board Units/ Plants.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Setting-up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Commercial helicopter services.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Erection of mobile Tower.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities:		
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Act and the rules made there under.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Regulated under applicable laws.
15.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
16.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for <i>bona fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
17.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
18.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
19.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
20.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
29.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
30.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
31.	Collection of boulders, gravel and sand from the river beds.	Regulated under applicable laws.
32.	Laying of transmission and distribution system above 33KV.	Regulated under applicable laws.
33.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the units of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100% imported wood stock.
34.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
35.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
36.	Community Nature Reserve.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities:		
37.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Promoted under applicable laws.
38.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
40.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy sources.	Promoted under applicable laws.
42.	Vegetative fencing.	Promoted under applicable laws.
43.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
44.	Agro Forestry, Agriculture operations including plantation, horticulture and orchards.	Promoted under applicable laws.
45.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) Deputy Commissioner, Jhajjar - Chairman;
- (b) Additional Deputy Commissioner, Jhajjar-Member;
- (c) a representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Haryana for a term of three year – Member;
- (d) one expert in the area of ecology and environment from any reputed Institution or University of the State to be nominated for a term of three year by the Government of Haryana -Member;
- (e) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board-Member;
- (f) District Town Planner, Jhajjar -Member;
- (g) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Haryana - Member;
- (h) Divisional Wildlife Officer, Rohtak – Member;
- (i) Representative of State Bio Diversity Board-Member;
- (j) Deputy Conservator of Forests (Territorial) Jhajjar –Member Secretary.

Terms of Reference:


- (2) The tenure of the Monitoring Committee is for three years.
 - (3) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of Notification.
 - (4) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (5) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (6) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (7) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (8) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per pro forma appended at **Annexure III**.
 - (9) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/32/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Bhindawas Wildlife Sanctuary, Haryana.



Annexure II

The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Bhindawas Wildlife Sanctuary, Haryana

COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE		
Id	Longitude	Latitude
1.	76° 31' 54.658" E	28° 32' 35.294" N
2.	76° 31' 56.066" E	28° 32' 15.762" N
3.	76° 32' 23.060" E	28° 32' 13.853" N
4.	76° 32' 28.787" E	28° 31' 44.538" N
5.	76° 32' 36.542" E	28° 31' 41.446" N
6.	76° 33' 3.194" E	28° 31' 21.243" N
7.	76° 33' 14.773" E	28° 31' 20.498" N
8.	76° 33' 26.247" E	28° 31' 11.916" N
9.	76° 33' 42.089" E	28° 31' 12.445" N

10.	76° 33'43.941" E	28° 31'34.885" N
11.	76° 34'0.906" E	28° 31'35.471" N
12.	76° 34'0.219" E	28° 31'43.348" N
13.	76° 33'54.507" E	28° 31'45.285" N
14.	76° 33'40.594" E	28° 32'15.802" N
15.	76° 33'18.992" E	28° 32'16.245" N
16.	76° 33'18.515" E	28° 32'45.766" N
17.	76° 32'54.878" E	28° 32'45.969" N
18.	76° 32'52.813" E	28° 32'35.228" N
19.	76° 32'30.558" E	28° 32'34.735" N
20.	76° 32'12.840" E	28° 32'45.263" N
21.	76° 32'0.584" E	28° 32'36.662" N

COORDINATES OF BHINDAWAS WILDLIFE SANCTUARY

ID	Longitude	Latitude
1A	76 ° 31' 58.409" E	28° 32' 31.663" N
2A	76 ° 31' 58.785" E	28° 32' 17.261" N
3A	76 ° 32' 21.256" E	28° 31' 16.98" N
4A	76 ° 32' 32.204" E	28° 31' 44.69" N
5A	76 ° 32' 38.247" E	28° 31' 41.798" N
6A	76 ° 33' 2.889" E	28° 31' 24.644" N
7A	76 ° 33' 16.618" E	28° 31' 23.768" N
8A	76 ° 33' 27.083" E	28° 31' 14.698" N
9A	76 ° 33' 39.565" E	28° 31' 44.639" N
10A	76 ° 33' 40.437" E	28° 31' 37.59" N
11A	76 ° 33' 58.77" E	28° 31' 37.682" N
12A	76 ° 33' 57.75" E	28° 31' 40.162" N
13A	76 ° 33' 51.512" E	28° 31' 43.011" N
14A	76 ° 33' 38.102" E	28° 32' 13.476" N
15A	76 ° 33' 15.503" E	28° 32' 13.221" N
16A	76 ° 33' 15.475" E	28° 32' 42.996" N
17A	76 ° 32' 57.067" E	28° 32' 42.613" N
18A	76 ° 32' 57.136" E	28° 32' 31.481" N
19A	76 ° 32' 28.597" E	28° 32' 31.292" N
20A	76 ° 32' 13.732" E	28° 32' 42.362" N
21A	76 ° 32' 3.117" E	28° 32' 33.226" N

Annexure III**Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.